न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर ए एस)
राजस्व प्रकरण संख्या – 73 / 2021

उनवान

1. छोटू पुत्र प्रताप जाति गुर्जर निवासी ग्राम कानपुरा नसीराबाद

—— वादीगण – जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. नाथी पत्नी मौहब्बता
2. रघुनाथ पुत्र मौहब्बता
3. कालू पुत्र चन्द्रा,
4. गुलाब पुत्री चन्द्रा,
5. छगनी पत्नी चन्द्रा,
6. रगा पुत्र फूला जाति जाट नि0 कानपुरा, नसीराबाद
7. मैनेजर स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तिहारी,
8. उप पंजीयक, नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 7 अनुपस्थित
8 व 9 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

– निर्णय :– दिनांक :– 25.7.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 कानपुरा म स्थित निम्न आराजी वादी की खातेदारी की है –

चौसाला ख0न0	रकबा	वर्किंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
742	6–01–10	762	[illegible]	627	0.11
		763	0–16–[illegible]	626	0.78
		770 मिन	0–1[illegible]	643 / 5301	0.11
743	3–2–10	770 [illegible]	[illegible]	643	[illegible]
		772	[illegible]–10	635	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्त आराजी के चौसाला जमाबंदी के अनुसार खसरा नम्बर 743 रकबा 3–2–10 के 743/1 रकबा 1–16–10 के खातेदार वादी के पिता व 743/2 रकबा 1–6–10 के खातेदार प्रतिवादी 1 से 6 के पूर्वज थे। इसी प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 742 रकबा 6–1–10 में 742 मिन रकबा 3–1–0 के खातेदार वादी के पिता व 742 मिन रकबा 3–0–10 के खातेदार प्रतिवादी सख्या 1 से 6 के पूर्वज थे। किन्तु बंदोबरत विभाग ने नया राजस्व अभिलेख तैयार करते समय वर्किंग जमाबंदी के नम्बर 770 व 772 में वादी के पिता का रकबा 1 बिस्वा कम कर दिया व प्रतिवादी 1 से 6 के पूर्वज का रकबा 10 बिस्वा अधिक कर दिया। तथा हाल खसरा नम्बर 643 में वादी के पिता का रकबा 1 बिस्वा कम व प्रतिवादी सख्या 1 से 6 के पूर्वज का रकबा हाल खसरा नम्बर 635/0.65 में 10 बिस्वा अधिक कर दिया। अतः हाल राजस्व अभिलेख में खसरा नम्बर 635 रकबा 0.65 में से 0.08 व हसल खसरा नम्बर 626 रकबा 0.78 में से 0.37 का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। इस आशय की आज्ञप्ति वहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वय सिद्व करे।

प्रकरण में खण्डन नही होने से तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार आराजी मुतनाजा चौसाला खसरा नम्बर 742 रकबा 6–01–10 में से 3–1–0 वादी के पिता के नाम तथा 3–00–10 प्रतिवादी संख्या 1 से6 केपूर्वज केनामखातेदारी दर्ज था। इसी प्रकार चौसाला खसरा नम्बर 743 रकबा 3–02–10 मेसे 1–16–10 वादी के पिता के नाम तथा 1–06–00 प्रतिवादी सख्या 1 से 6 के पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज था। चौसाला खसरा नम्बर 742 केवर्किंग खसरा नम्बर 762/0–14–0, 763/4–16–10 व 770 मिन/0–11–0 बने है तथा चौसाला खसरा नम्बर 743 के वर्किंग खसरा नम्बर 770 मिन/1–6–0 व 772/1–11–10 बने है। वर्किंग खसरा नम्बर 762, 770 वादी के नाम तथा वर्किंग खसरा नम्बर 763, 772 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। इसी प्रकार आराजी मुतनाजा के बने हाल खसरा नम्बर 627/0.1, 643/0.23 वादी के नाम तथा हाल खसरा नम्बर 626/0.78 व 635/0.65 प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी के पिता के नाम चौसाला खसरा नम्बर का जितना रकबा खातेदारी दर्ज था। उतना रकबा वर्किंग व हाल राजस्व अभिलेख में वादी/पिता के नाम दर्ज नही कर कत रकबा दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी सख्या 1 से 6 के नाम चौसाला खसरा नम्बर के रकबे से अधिक रकबा वर्किंग व हाल खसरा नम्बर में दर्ज कर दिया गया। बंदोबस्त विभाग को पूर्व राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे के अनुसार ही हसल राजस्व अभिलेख में रकबा दर्ज करना था। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने भी वाद का कोई खण्डन नही किया है। वादी [illegible] राजस्व अभिलेख से वादी के तथ्यो की पुष्टि होती है। हाल खसरा नम्बर 63[illegible] 62[illegible] प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा प्रतिवादी सख्या 7 के नाम रहन [illegible] है। प्रतिवादी स[illegible] को उक्त आराजी रहन देने का व प्रतिवादी सख्या 7 को उक्त आराजी [illegible] अधिकार नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अत: वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 625 रकबा 0.65 मे से 0.08 व हाल खसरा नम्बर 626 रकबा 0.78 में से 0.37 का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद की कार्यवाही करवे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

छोटू बनाम नाथी

दावा बावत – 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 73 / 2021
पेश करने की दिनांक – 13.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 635 रकबा 0.65 में से 0.08 व हाल खसरा नम्बर 626 रकबा 0.78 में से 0.37 का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद की कार्यवाही करवे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

[illegible] इस मुकदमे मे मय सूद व शरह तक — [illegible] सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक [illegible] करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनाक 25 माह 07 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बावत इजराय हुक्मनामा
बावत इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
[illegible]	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद